कार्यालय कलेक्टर (आबकारी), जिला खरगोन (म0प्र0)

//विज्ञप्ति//

सर्वसाधारण की जानकारी एवं आबकारी के फुटकर ठेकेदारों की विशेष जानकारी के लिए, आबकारी आयुक्त म.प्र. ग्वालियर द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण क्रमांक 80 दिनांक 01.02.2018 में प्रकाशित विज्ञप्ति क्रमांक 7–ठेका/2018–19/416 दिनांक 01.02.2018 अनुसार यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि, वर्ष 2018–19 के लिए अर्थात दिनांक 01.अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक की अवधि के लिए खरगोन जिले के 24 एकल समूहों मे से, नवीनीकरण/ लॉटरी आवेदन पत्र से निष्पादन के पश्चात शेष रहे 13 एकल समूहें में सम्मिलित 35 देशी एवं 11 विदेशी मदिरा दुकानों/एकल समूहों का निष्पादन वर्ष 2018–19 के लिए निर्धारित आरक्षित मूल्य पर ई–टेण्डर आमंत्रित कर जिले में गठित जिला समिति द्वारा निम्न कार्यक्रम अनुसार किया जावेगा –

1	ई–टेण्ड़र हेतु ऑन–लाईन टेंडर प्रपत्र डाउनलोड़ करने का समय एवं तिथियां	दिनांक 22 फरवरी 2018 को प्रातः 11:00 बजे से 28 फरवरी 2018 दोपहर 03:00 बजे तक।
2	ऑन–लाईन ई–टेण्ड़र ऑफर सबमिट करने का अंतिम समय एवं तिथि	दिनांक 28 फरवरी 2018 सायंकाल 05:30 बजे तक।
3	जिला समिति द्वारा ई–टेण्डर के निराकरण किये जाने की तिथि एवं समय	दिनांक 01 मार्च 2018 को प्रातः 11:00 बजे से कार्यवाही पूर्ण होने तक
4	निष्पादन स्थल	कलेक्टोरेट खरगोन

वर्ष 2018–19 के लिए **ई–टेण्डर के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली** खरगोन जिले की सभी देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों/एकल समूहों की सूची (जानकारी), उनका आरक्षित मूल्य, टेण्डर प्रपत्र के साथ जमा की जाने वाली धरोहर राशि, की जानकारी, नियमों, विक्रय ज्ञापन, ड्यूटी की दर तथा देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा दुकानों की विगत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष के 9 माह में खपत, ई–टेण्डर प्रपत्र क्रय करने, भरने तथा जमा करने की प्रक्रिया आदि की जानकारी सहायक आयुक्त आबकारी कार्यालय खरगोन के अतिरिक्त मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रोनिक विकास निगम के पोर्टल (www.mpeproc.gov.in) पर उपलब्ध रहेगी । इच्छुक टेण्डरदाता उक्त पोर्टल से ही ई–टेण्डर फार्म डाउनलोड तथा भरा हुआ फार्म संलग्नकों सहित अपलोड कर सकेंगे ।

16/2/18

(अशोक कुमार वर्मा)
कलेक्टर
जिला खरगोन (म0प्र0)